

कार्यालय,**संघित, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिर/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/08/2022 से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से तयकालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में सिमे गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/08/2022 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1657-INSTITUTE OF INTERNATIONAL EXCELENCE

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, रीमेंस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 30/08/2022, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30/08/2022 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/08/2022 द्वारा कताये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

यदि संस्थान का ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और प्रिथिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग कार्यक्रम होने के पूर्व ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण निर्घण्टों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिदक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैजिंग रीकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संधानित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-सदन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थानीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाते अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एन0आर0 खान)

सचिव

पू0सं0- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, INSTITUTE OF INTERNATIONAL EXCELLENCE



(एन0आर0 खान)

सचिव

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या- प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संलग्नक दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय नगर-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/बम्बेई काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली द्वारा वीथिक सब 2021-22 हेतु किम्बोना स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, 30/08/2021 संलग्नक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सब 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ एवं से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सब 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निम्ने गरी निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 30/ 08/ संलग्नक द्वारा सब 2021-22 हेतु विन्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1657- INSTITUTE OF INTERNATIONAL EXCELLENCE 281-500 VILLAGE-DOTAI
KHIWAI, GARH, MEERUT ROAD, GARHMUKTESHWER, HAPUR, GHAZIABAD-246205

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सब 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सब 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1992, सेमेस्टर विनियमवारी-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क नील वार्षिक इन्जी0 पाठ्यक्रम हेतु रु0 30150,00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फर्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु0-45000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो) वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रु0-22500,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश ध्यायी होंगे, और तदुत्तर कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सब 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की संयोजन दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (30/08) प्राथमिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध शिक्षा (सब) विनियमवारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्देशना एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाने गये विधिलिपियों/अधिलिपियों/शासनादेशों/निर्देशों एवं नियंत्रक, प्राथमिक शिक्षा, 30/08, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30/08 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 30/08 द्वारा बनाने गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ किम्बोना इन वार्षिकी पाठ्यक्रम की संस्थाएं सदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त असहमतियत संस्था का होगा और विधिवा सभ से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी कार्यवाही के लिए बाध्य नहीं है तथा बाध्य के संबंध में ना. जवाबदाय्य द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ हिन्दोगा इन फार्मों को पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संस्कृत द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व वीएससीआईओ से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपसर्पद सारना होगा अन्यथा उन्ही प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट अधीनस्थ आरक्षण जिसमें का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक सूचि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराता होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिष्कार हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ हेतिय रोजने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तुत/संघनित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-आकृत, फालीधर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्कृत संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति भी जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, आवा, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आइ0सी0आई0पी0सी0आई0 परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता वाली का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार शोमबर)

सचिव

सूच्यं-0- सचिवपरिषद सम्बद्धता/2021/3536-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि:-

प्रधानधर्मनिदेशक, INSTITUTE OF INTERNATIONAL EXCELENCE, 281-300 VILLAGE-DOTAI KHIWALGARH, MEERUT ROAD, GARHMUKTESHWER, HAPUR, SHAZIABAD-245205



(सुनील कुमार शोमबर)

सचिव

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राथिप/परिषद सम्प्रदाता/2019/1133

अवकाश दिनांक: 15-5-2019

:-कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तृतीयकी शिक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तृतीयकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद संख्या संख्या संख्या/सम्प्रदाता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यसभ में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु जांचित संस्थाओं में सम्प्रदाता/पूर्व से परामर्शित संस्थाओं का सम्प्रदाता विस्तार/पाठ्यक्रम/परीक्षा क्षमता सुनि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्प्रदाता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त के अनुक्रम में सम्प्रदाता समिति की बैठक के मंत्र-3 में विस्तार इन फार्मों पर पाठ्यक्रम संशोधन करने वाली नई संस्था का इकट्ठा किया गया। सम्प्रदाता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श के निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

"ए0आई0सी0टी0आई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अखिल पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मों की संस्थाओं के संघ में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अखिल संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्प्रदाता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मों पर पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रदेश की संस्तुति सत्र 2018-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित माउन्टसिलिय प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 अनुमोदन पर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही की जाएगी।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-निर्माण द्वारा जो नयी संस्तुति तथा सम्प्रदाता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राथमिक शिक्षा परिषद को पाठ्यक्रम द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं जाने अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्प्रदाता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0आई0/पि0सी0आई0 द्वारा सत्र 2018-20 में अनुमोदित क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित क्षमता
1	1102 इस्टर्न जेक इन्टरनेशनल एकेडमी, 201-300 मिनेज-बैंगलूर, मद्रास रोड गडगुबलूर जिला-कन्नड़, मादिसिंधार -2119205	विस्तार का नाम	80	80

सम्प्रदाता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0आई0 द्वारा नियमित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा सुलभ निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सीमा सीमा हेतु 30,150.00/- प्रतिक्रम, दो वर्षीय फार्मों पर पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/-

प्रतिवेद एवं एच. एम. एम. के अर्थ में पाठ्यक्रमों (जो वर्तमान कार्यकारी पाठ्यक्रम के अधिकांश) को क्र. 22/550/07 प्रतिवेदों द्वारा ही प्रत्येक राज्य/राज्य में प्रकाशित किया जाएगा। उपरोक्त के अधिकांश प्रांत/राज्यों से सुझाव के अभाव में संघ-संघ पर खर्च द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश बनायीं जाएंगे, और बादनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। निम्न विधायक समिति द्वारा बरि सत्र 2019-20 को प्रेषित की पूर्ण-परिपत्र जिसे जल्द से ही जारी की नवीकरण दे देना होगा।

- ✓ संघ की (ग्राम) प्राथमिक शिक्षा प्रतिवेदों तथा एवं अधिकांश शासनादेशों को सम्बद्ध किया जाये। विनिर्माणवादी-2000 की कमी नए अनुपालन करना होगा।
- ✓ संघ में समुदाय प्रवेश परीक्षा परिपत्र द्वारा अपेक्षित प्रश्नों को ही प्रेषित किया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संघ को संघ-संघ पर निर्गत शासनादेश के अनुसार विविध एवं सम्बद्धता सुझाव जमा करना होगा।
- ✓ संघ को एजेंडारहित/परिपत्रों के उपयोगी सत्र को अनुपालन प्रकाशित किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संघ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किये गये विधि/निर्णय/अधिकांश/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उच्च, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिपत्र, उच्च एवं प्राथमिक शिक्षा परिपत्र, उच्च एवं संघों के निर्णय, विधायक, आदेशों, निर्देशों का प्रकाश करने के लिए बंधन होगी।
- ✓ विनिर्माण एवं कार्यकारी पाठ्यक्रम की संशोधन यदि भी यौनिक नई दिल्ली से अनुपालन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संघ में संशोधन आवश्यकताएं सत्यापित की जाएंगी। वैशेषिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संघ को स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिपत्र, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिपत्र, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को सीटों पर आधारित किया जाये है तथा उत्तर एवं के अभाव में या आवश्यकताएं प्राप्त किसी प्रकार की प्रतिकूल तर्कों आदेश निर्गत किया जाये है तो संघ पर प्रतिभूति संबंधित सत्यापित करने होगी।
- ✓ विनिर्माण एवं कार्यकारी पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संघों को संशोधन प्रेषित परीक्षा परिपत्र, उत्तर प्रदेश लक्ष्यक द्वारा प्रेषित एवं के लिए अनिवारित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालयिक प्राप्त होने के पूर्व संचार/आदेशों से अनुपालन प्राप्त कर निर्गत कार्यवाही को सम्बद्ध करना होगा अथवा उन्हें प्रेषित की (कार्यालयिक के संघों में अथवा संघों पर ही सीटों परीक्षा) अनुपालन नहीं प्रकाश की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित को निर्गत नवीकरण आदेश निर्णय का अनुपालन करके आवश्यक होगा।
- ✓ संघ को अपने वेबसाइट पर संघ की सम्बद्ध सूचनाएं जैसे संघ की एजेंडारहित प्रतिकूल, स्टार, साह-संघ, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुझाव, आशयपूर्ण सुझाव आदि का विवरण उपलब्ध कराया जाये।
- ✓ संघ को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपरोक्त कार्यवाही उपलब्ध कराने के साथ निम्न सीटों के सम्बद्ध में समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संघ में सुनिश्चित है कि संघ में इच्छा/सम्बद्धता पाठ्यक्रम को प्रकाशित करने हेतु निर्माण समिति के समस्त उपलब्ध कार्यवाही एवं अधिकांश सुनिश्चित, कार्यवाही, उपकरण इत्यादि का यदि संघ द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघों में प्रेषित किया जाता है और परिपत्र को इतनी जानकारी होगी है कि संघ उपरोक्त का प्रेषित किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संघों संघों की सम्बद्धता समस्त किये जाने की अनुमति भी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्त का अनुपालन न किये जाने अथवा सत्रों का उपलब्ध किये जाने की स्थिति में निर्माणानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सजीव कुमार सिंह)
सचिव

सूचना- शिक्षण/परिपत्र सम्बद्धता/2019/1133-2252
प्रतिवेद-प्रकाशनादेश/निदेशक, इस्टीमेट आफ इन्टरनेशनल एक्सीलेंस, 281-300 बिलाज-दोहाई किल्लवाई, पद
नं० 10 सेंट गेदमुकोस्कर जिला-कापुर, गाजियाबाद-215205

सद दिनांक 15-5-2019

92
(सजीव कुमार सिंह)
सचिव